(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 65 **नई दिल्ली**, 09 मार्च , 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत् द्वारा, न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास से वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए पोत घाट सं. 10 पर प्रहस्तित कार्गो पर अन्तिम (फाइनल) पोत घाट शुल्क तय करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव को संलग्न आदेशानुसार निपटाता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

<u>प्रकरण सं. टीएएमपी/38/2007-एनएमपीटी</u>

न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास आवेदक

<u>आ दे श</u>

(फरवरी 2010 के 23 वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने आदेश सं. टीएएमपी/31/2004-एनएमपीटी दिनांक 18 नवम्बर 2004 के माध्यम से पोत घाट सं. 10 हेतु 1996-97 से 1999-2000 तक के लिए पोत घाट शुल्क की दर निर्धारित की थी ।

2. अनेक अनुस्मारकों और अनुवर्तनों के बाद न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) ने दिनांक 16 जुलाई 2007 के अपने पत्र द्वारा, वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए पोतघाट सं. 10 के लिए अंतिम (फाइनल) पोतघाट शुल्क प्रभार निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव दाखिल किया था । पत्तन द्वारा प्रस्तावित पोतघाट शुल्क दर वर्ष 2000-01 के लिए रू. 73.32 प्रति टन और वर्ष 2001-02 के लिए रू. 87.24 प्रति टन है । पत्तन ने बताया है कि मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) ने एस्क्रो एकाऊंट में पर्याप्त अधिशेष नहीं बनाए रखने और पत्तन की साझा परिसम्पत्तियों पर मूल्योंास न घटाने से संबंधित दो बिन्दुओं पर अपनी प्रेक्षाओं के अधीन प्रस्तावित पोतघाट शुल्क प्रभार से संबंधित गणनाओं की पुष्टि की है ।

3. संबद्ध उपयोगकर्त्ता मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) के साथ निर्धारित सामान्य परामर्शी प्रक्रिया पूरी की गई थी और एमआरपीएल की टिप्पणियों पर पत्तन की प्रतिपूरक सूचना प्राप्त की गई थी ।

4. प्रस्तावित पोतघाट शुल्क दर की गणना के संबंध में एमआरपीएल द्वारा उठायी गई मुख्य आपत्तियां संक्षेप में नीचे दी गई हैं:-

(i) एमआरपीएल का तर्क था कि 1996-97 से पहले के वर्षों से संबंधित पेंशन-अंशदान के भाग पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि पोतघाट में प्रचालन वर्ष 1996 में ही आरम्भ हुआ था ।

(ii) एमआरपीएल एस्क्रो एकाऊंट से धन निकासी के पत्तन के तरीके से भी सहमत नहीं है । इसने तर्क दिया है कि पत्तन से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निवेश पर प्रतिलाभ (आरओआई) जैसाकि पत्तन द्वारा वास्तव में वसूल किया गया है, की मद में प्रोद्भवनों (ऐक्रुअल्स) की और, साझा परिसंपत्तियों पर मूल्योंास को जिसे ऋण वापसी के समक्ष सैट-ऑफ नहीं किया गया है और, इसके साथ ही विशिष्ट वर्षों तक पत्तन द्वारा संचयी रूप से उगाहे गए अधिक पोतघाट शुल्क की मद में उभरने वाली धनवापसियों को यथावत रखे । इसने सत्यापन के बारे में, पत्तन से विस्तृत गणनाओं का अनुरोध किया है ।

5. एनएमपीटी ने बताया है कि पोतघाट शुल्क की गणना में अपनाई गई पेंशन देनदारी की जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए बीमांकन मूल्यांकन के संदर्भ से पुनर्जांच की गई है और पोतघाट को प्रभार्य समानुपातिक राशि, प्रस्ताव में विचारित रू. 5.84 करोड़ की तुलना में रू. 3.40 करोड़ ही आती है । एस्क्रो एकाऊंट से निकासी के बारे में उठाए गए बिंदु के बारे में पत्तन ने ब्यौरे प्रस्तुत किए हैं और निवेदन किया है कि एमआरपीएल ने रू. 843.63 लाख का अतिरिक्त लाभ प्राप्त किया था जिसको भी समायोजित करने की आवश्यकता है । उपरोक्त फेर

बदल के कारण पत्तन ने इन आंकड़ों को वर्तमान प्रस्ताव में या परवर्ती वर्षों के प्रस्तावों में समायोजित करने की आवश्यकता व्यक्त की है ।

6.1. इस प्रकरण में 17 दिसम्बर 2009 को पत्तन परिसर में एक संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी । संयुक्त सुनवाई में, एमआरपीएल ने अपनी आपत्तियों पर पुन: जोर दिया । एनएमपीटी ने निवेदन किया है कि उसने एमआरपीएल की कुछ मांगों की जगह देने के लिए प्रस्ताव को संशोधित किया है । एमआरपीएल ने संशोधित प्रस्ताव में आँकड़ों का सत्यापन करने के लिए और अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 30 दिन की मोहलत दी है जिसे इस प्राधिकरण ने प्रदान कर दिया । एनएमपीटी इस बात से सहमत था कि पुराने प्रस्ताव के आधार पर आरम्भ की गई प्रक्रिया को जारी रखने से कोई लाभ नहीं है और इसलिए इस प्रकरण को बंद करने पर वह सहमत हो गया ।

6.2. यद्यपि पत्तन ने संशोधित प्रस्ताव दाखिल करना स्वीकार कर लिया था, उसने केवल 8 दिसम्बर 2009 को अपनी टिप्पणियां ही प्रस्तुत की जिनसे एमआरपीएल को भी अवगत करवाया गया था । इसलिए, कहा जाता है कि पत्तन द्वारा दाखिल किया गया कोई भी संशोधित प्रस्ताव इस प्राधिकरण के पास लंबित नहीं है ।

7.1. उपरोक्त की दृष्टि से, यह प्राधिकरण इस प्रकरण को वापिस लिए गए के रू प में बंद करने का निर्णय लेता है । वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए पत्तन द्वारा दाखिल किया जाने वाला संशोधित प्रस्ताव अभी भी प्रतीक्षित है । एनएमपीटी को सलाह दी जाती है कि वह राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तिथि से एक माह के भीतर, एमआरपीएल की टिप्पणियों के साथ संशोधित प्रस्ताव दाखिल कर दे । एनएमपीटी से जब संशोधित प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा, उसे नया ही माना जायेगा ।

7.2. हमारे द्वारा बार-बार अनुरोध करने और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद पत्तन ने परवर्ती वर्षों के लिए अर्थात 2002-03 और उसके बाद के लिए पोतघाट सं. 10 के लिए पोतघाट शुल्क तय करने हेतु कोई प्रस्ताव दाखिल नहीं किया है और इसीलिए यह प्राधिकरण इन वर्षों के लिए पोतघाट शुल्क दर तय करने की स्थिति में नहीं है । एनएमपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तिथि से एक माह के भीतर, वर्ष 2002-03 और इसके बाद समझौता ज्ञापन के स्थान ग्रहण करने तक पोतघाट शुल्क दर निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव दाखिल कर दे । इस प्राधिकरण को प्रस्तावित पोतघाट शुल्क दर और गणनाएँ भेजने से पहले, एनएमपीटी को, अभी तक पालन की गई सामान्य परंपरा के अनुसार एमआरपीएल से अपने आँकड़ों का सत्यापन करवाने की सलाह दी जाती है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष